भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन चतुर्थ ई–परिवहन निविदा प्रपत्र वर्ष 2018–2020

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755. 2680250 से 53
फैक्स नम्बर –0755. 2450896
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

Tender Detailes-Creation

(For Two Bid Tender-E)

Tender level Details			
Tender No:*	-	Tender Creation Date and Time:*	
NIT No:*	-	Title:*	Tender Notification
Notice Invited for:*	Tender	Stage:*	-
Tender call:*	FORTH	Currency	Indian Rupees
Email:*	-	Division/Basin:*	-
District :*	Bhopal	Vendor Class	-
Tender Category	Services	Tender Sub Category	Hiring of Vehicles
Period of Completion in month	-	Tender Type	-
Form of Contract	General	SOR	-
Name of Work:*	Transporter	Work No:*	1
Tender Fee Details			
probable Amount of :*Contract (PAC) in:*	0	EMD in:*	For bolero pickup Vehicle or equivelent vechile Rs.50000.00
Cost of document in:*	1000/-	processing Fee in:*	-
			-
Important Dates			
Purchase of Tender Start date:*	12-01-2018 12:00 pm	Pre bid meeting Date and Time:*	-
Purchase of Tender End Date:*	23-01-2018 12:00pm	Bid Submission End Date:*	23-01-2018
Mandatory submission (Envelope A) Open Date:*	23-01-2018 14:00 pm	Technical Proposal (Envelope B) Open Date	23-01-2018 15:30pm
Financial Bid (Envelope C) Open Date	23-01-2018 16:30 pm	-	-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑन लाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	23-01-2018 दोपहर 12:00 बजे तक
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	23-01-2018 दोपहर 14:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
3	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	23-01-2018 अपरान्ह .15:30. बजे से
4	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू.1000/– (एक हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	बोलेरो पिकप अथवा समकक्ष वाहन हेतु निविदा के साथ रू.50,000/– (रू. पचास हजार मात्र) डी.डी. ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो
6	निविदा खोलने का स्थान	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल
7	धरोहर राशि (EMD)	लिफाफा ''**A**''
8	परिवहनकार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 लिफाफा ''**B**''
9	.''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03 लिफाफा ''**C**''

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- धरोहर राशि (**EMD**) का डी.डी. भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''**A**'' लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्तें'' मार्ग का नाम वर्णित करते हुए एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''**B**''– प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- उक्त दोनों ''**A**'' एवं ''**B**'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 23-01-2018 को दोपहर .14:00 बजे तक भौतिक रूप से जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 3 लिफाफा ''**C**'' जिसमें ''दरें'' संलग्न होंगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा।

नोटः– सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (**EMD**) का डी.डी. भौतिक रूप से एक अलग लिफाफे ''**A**'' में भेजे। लिफाफा ''**A**'' तथा ''**B**'' निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से भोपाल दुग्ध संघ में जमा करें। दस्तावेज जिन्हें ऑनलाईन नही भेजा जा सकता है, को साथ ही लिफाफा ''**B**'' में दिनांक 23-01-2018 को दोपहर 14:00 बजे तक प्रेषित करें। लिफाफा ''**C**'' जिसमें **Price Bid** संलग्न होगी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे एवं भौतिक रूप से प्राप्त **Price Bid** (लिफाफा ''**C**'') को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणीः–

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1. <u>निविदा कार्य अवधिः–</u>

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2018–2020 (दो वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. <u>न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण</u>

स.क्र.	विवरण	स. क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे या भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	अनिवार्य अर्हताऐं–		अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा । स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.04** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखताररनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑन लाईन जमा होना चाहिय।	4.3	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.4	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	विगत दो वर्षो के 2015–2016 एवं 2016–2017 का आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.5	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई विगत दो वर्ष की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	निविदा शुल्क जमा किया हो।	4.6	निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से

6. <u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mpeproc.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार मात्र) (समस्त कर सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रपत्र क्रमांक–01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ, कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा दुग्ध संयंत्र **बैतूल से** ....**मार्ग हेतु** ई.एम.डी. राशि रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ ।

तकनीकी अर्हताऐं

क्रं0	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1	परिवहनकर्ता का नाम,परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (संस्था/फर्म आदि का पंजीयन का प्रमाण)		निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 4 करें। संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदा फार्म फर्म/कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म/कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी संलग्न करना अनिवार्य है।		उक्त स्थिति होने पर पॉवर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र फर्म/कंपनी के अधिकृत पत्र फर्म/कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से तकनीकी अर्हताओं में निविदा के साथ संलग्न किया जाए.
5.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
6.	उपलब्ध वाहन का प्रकार/नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ–पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन/शपथपत्र की प्रति लगावें।
7	परिवहनकर्ता हेतु जी.एस.टी. नं होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नं की छायाप्रति संलग्न करें।
8	परिवहनकर्ता हेतु **F.S.S.A.I** (खाद्यय लायसेंस) का होना आवश्यक है।		**F.S.S.A.I** (खाद्य लायसेंस) की छायाप्रति संलग्न करें ।
9	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की विगत दो वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की बैंक से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
10.	विगत दो वित्तीय वर्षो का 2015–16 एवं 2016–17 का आयकर रिर्टन दाखिल करने का प्रमाण।		विगत दो वित्तीय वर्षो का 2015–16 एवं 2016–17 का आयकर रिर्टन का स्व प्रमाणित स्टेटमेन्ट संलग्न करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है ।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––––

नाम :– ––––––––––––––––––––––––

पता :– ––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

टेलीफोन नं. ––––––––––––––––––––––––

मोबईल नं ––––––––––––––––––––––––

ई–मेल नं. ––––––––––––––––––––––––

फैक्स नं. ––––––––––––––––––––––––

प्रपत्र क्रमांक–2

साँची दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :

(1) निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासर्पोट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

(2) निविदाकार/आवेदक एक निविदा प्रपत्र में एक ही मार्ग हेतु दरें प्रस्तुत कर सकेगा। अलग–अलग मार्ग हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक मार्ग हेतु अलग–अलग ई.एम.डी.राशि जमा करना भी अनिवार्य है।

(3) निविदाकार के पास स्वयं के नाम का इंसयुलेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नया वाहन क्रय करना चाहता है तो एक माह के भीतर इंसयुलेटेड नया वाहन उपलब्ध कराने का रू 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। इन्सयुलेटेड वाहन मॉडल वर्ष **2015** अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए **वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ** से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच "या पफ इन्सूलेशन 2 इंच अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती है।

(4) निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ बालेरो अथवा समकक्ष वाहन हेतु रू. 50,000/– (रू. पचास हजार मात्र) की डी.डी. ई.एम.डी. राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर ई.एम.डी. राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित हो जावेगी।

(5) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेंगा।

(6) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है।

(7) निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

(8) भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(9) निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(10) किसी भी निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(11) निविदाकार/आवेदक दरों में प्रचलित डीजल दरों एवं मार्गो में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा भविष्य में अनुबंधित मार्गो पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा।

(12) निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।

(13) परिवहनकर्त्ता को निविदा स्वीकृति होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि (बोलेरो पिकअप अथवा समकक्ष वाहन) हेतु राशि रू. 1,00,000/– (एक लाख मात्र) डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(14) **निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता को कार्य अवधि दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्षों की अवधी में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधी एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।**

(15) कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।

(16) निविदाकर्ता को निविदा के साथ रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकार भोपाल दुग्ध संघ के मा. अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी सदस्य /भोपाल दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नही है तथा निविदाकार को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/भोपाल दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी. /प्रतिभूतिराशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर निविदाकार/ठेकेदार को दुग्ध संघ के विरूद्ध किसी भी मा. न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नही होगा।

(17) निविदाकार के पास जी.एस.टी. नं. होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. नं. उपलब्ध न कराने की दशा में निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जावेंगा।

(18) निविदा स्वीकृत होने के उपरांत इंसूलेटेड वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय–समय पर वाहनो का इंसूलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेंगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंसूलेशन नही पाया जाता है तो परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेक लिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा।

(19) निविदाकार को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकार से प्रमाणित कराकर निविदा के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकारों की निविदा जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नही किया जावेंगा उनकी निविदा मान्य नही की जावेंगी।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्त्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 19 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

परिशिष्ट क्रमांक–तीन

फाइनेंशियल बिड (प्रारूप)

निविदा में सम्मिलित बैतूल से चिचोली मार्ग हेतु समस्त करों–व्ययों/टोल टैक्स सहित दरें प्रस्तुत करें।

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तुत दरें अंकों में रू. प्रति कि.मी	प्रस्तुत दरें शब्दों में रू. प्रति कि.मी
1.	.... से .... तक		

फाइंनेशियल बिड में प्रस्तुत की जाने वाली दरे स्पष्ट रूप से अंकित की जावे यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत की गयी दरों में कोई भिन्नता पायी जाती है शब्दों में प्रस्तुत की गयी दरों तो को ही मान्य किया जावेगा।

दिनॉक .... निविदाकार का नाम...............................

डिजीटल हस्ताक्षर/सील
हैसियत

परिशिष्ट चार

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

निविदाकार
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाए/स्केन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज, भोपाल(म0प्र0)

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बैतूल से चिचोली मार्ग में दुग्ध वितरण किये जाने के संबंध में परिवहन कार्य करने हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने यह निविदा फार्म अधिकृत वेबसाईट से प्राप्त किया है। मैं यह निविदा फार्म मार्ग .... से ....के लिए भर रहा हूँ। हमने / मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, निविदा दस्तावेज– संविदा शर्तो,नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया हैं तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ तथा बाध्य हूँ ।

इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

01. निविदाकार का नाम व पता ....
02. दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री एवं मोबाईल नंबर ....
03. निविदाकार का ई–मेल पता एवं फैक्स नंबर एस.टी. डी.कोड सहित ....
04. निविदाकार की संस्था का स्वरूप (फर्म/ कंपनी/ प्रो.स्वामित्व/ हिंदु अविभाजित परिवार आदि) ....
05. प्रोपराइटर/भागीदार/मु.कार्य.पालन अधिकारी का नाम व पता संपर्क दूरभाष–मोबाईल नंबर सहित ....
06. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते ....
07. कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक....... ....
08. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....
09. बैंकर का नाम शाखा स्थान सहित (खाता क्रमांक लिखें) ....
10. निर्धारित जमा की गई ई.एम.डी राशि का विवरण डी.डी. क्र. ....दि..........................
12. निविदाकार का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर का विवरण ....
13. जी.एस.टी. नं की प्रति संलग्न करें। ....
14. एफ.एस.एस.आई. नं की प्रति संलग्न करें। ....

1. उपरोक्त निविदा दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत् दुग्ध संघ द्वारा हमें/मुझे दुग्ध प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि और वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूं ।
2. हम/मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते हैं/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

   दिनांक.................. निविदाकार के हस्ताक्षर.........................
   नाम..
   प्रो./कंपनी/फर्म का नाम...
   पूरा पता...
   हैसियत...
   मुहर/सील...

नोट – इस परिशिष्ट में सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रुप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करें। अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन / वितरण हेतु अनुबंध–प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल एवं श्री .... जिन्हें आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया जावेंगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :–

परिवहनकर्ता द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, के अंतर्गत डेरी संयंत्र बैतूल से संचालित मार्ग बैतूल से. चिचोली तक के समस्त वितरण केन्द्रो तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्रमांक ....से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल, द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवदेन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तो पर निविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रू.................... प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रो में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ का होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
3. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रो पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर बैतूल डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के बिल में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रो पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा परिवहनकर्ता को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की ही होगी एवं यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
5. (1) यह कि परिवहनकर्ता वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारीश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/दूसरा इंतजाम करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

   (2) वैकल्पिक मार्ग से अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान अनुबंधित दर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सह.दु.संघ की स्वीकृती पश्चात् किया जा सकेगा । अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह परिवहनकर्ता से वसूली नियमानुसार योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

6. यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहनकर्ता पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने/दुग्ध वापस आने पर या टूट फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व वाहन परिवहनकर्ताका रहेगा।

7. यह कि परिवहनकर्ता हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काटली जायेगी जो परिवहनकर्ता को मान्य करनी होगी।

8. यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

   (1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

   (2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाएगा। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली परिवहनकर्ता के देयक से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

9. यह कि परिवहनकर्ता के वाहन चालक, परिवहनकर्ता के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेंगी।

10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेंगी ।

11. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दुग्ध संघ प्रयोगशाला में परिपेक्ष में जांच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12. यह कि वाहन परिवहनकर्ता द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (शाला) परिक्षण में जांच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

13. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेंगी। ठेकेदार द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

14. संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डाक पर परिवहनकर्ता छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।

15. यह कि दुग्ध संयंत्र बैतूल के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेग व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

16. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो परिवहनकर्ता से रूपये 50/– (रूपये पचास मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनिट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगुना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा। जितने दिन परिवहनकर्ता दुग्ध वितरण के लिए अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिए रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।
17. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात रूपये 500/– प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में आपके बिल से कटौत्री की जा सकेगी।
18. यदि परिवहनकर्ताका वाहन खराब हो जाता है तो प्रबंधक बैतूल डेरी या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा।
19. यह कि परिवहनकर्ताका वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु जानकारी कार्यालय को देनी होगी।
20. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल डेरी भोपाल अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्तादुग्ध या दुग्ध सेचेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को नहीं ले सकेगा।
21. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, परिवहनकर्ताको नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
22. वाहन चालक एवं अटेन्डेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के सचेट मुख्य कार्य पालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभ्रद व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लान्ट आपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा।
23. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .... से ठेके की अवधि .... के लिये प्रभावशाली रहेंगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्य पालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ बिना कोई कारण बताए ठेका समाप्त कर सकेगा एवं ठेका समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
24. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर डेरी संयंत्र भोपाल/बैतूल के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये मार्ग पर्यवेक्षक को वितरण वाहन कर निरिक्षण करने का अधिकार होगा। उसे निरक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
25. परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा।
26. भोपाल डेरी को बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।
27. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/– परिवहनकर्तापर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
28. परिवहनकर्ताद्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
29. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा।

30. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) मा.अध्यक्ष महोदय, भोपाल के समक्ष रखा जाऐगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ सुरक्षित रखता है।
32. वाहन परिवहनकर्ता को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र परिवहनकर्ताको दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के परिवहनकर्ता देयक से कम क्रेटो की राशि काट ली जावेगी। कटौत्रा होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।
33. ठेकेदार खाली क्रेटो, का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके लिए स्वयं परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा।
34. यह अनुबंध दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष कर तीन वर्षो हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
35. यदि वाहन परिवहनकर्ता शर्तो के परिचालन में असमर्थ है या ठेका समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।
36. वाहन ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की सूरत में परिवहनकर्ता द्वारा भोपाल दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण भोपाल दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता कों भोपाल सहाकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो कि परिवहनकर्ता से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
37. वाहन परिवहनकर्ता भोपाल दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का नाम मात्र सदस्य बनेगा एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।
38. निविदा अवधि के बीच में यदि डीजल, ऑयल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी स्वीकृत परिवहन दरों में प्रभावशील की जाऐगी।
39. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन परिवहनकर्ता द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन परिवहनकर्ता की होगी।
40. दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते परिवहनकर्ता इन्स्युलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
41. यदि कार्य सम्पादन निरोपित करने में वाहन परिवहनकर्ता संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नही पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिए परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन परिवहनकर्ता की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।
42. दुग्ध की माँग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की माँग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा दुग्ध उत्पाद न ले जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को रूपये 1000/– प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाया जावेगा।
43. उपरोक्त अनुबंध के शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिए जाऐंगे वह इस अनुबंध के भाग माने जाऐंगे।

44. निविदाकार/आवेदक दरें डीजल दरों एवं टोल टैक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करें। निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल का भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ का होगा।
45. निविदाकर्ता को निविदा के साथ रूपये 100/– के स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकार भोपाल दुग्ध संघ के मा. अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी सदस्य /भोपाल दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा निविदाकार को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/भोपाल दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर निविदाकार/ठेकेदार को दुग्ध संघ के विरूद्ध किसी भी मा. न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नही होगा।
46. यह की संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा औचक निरिक्षण किये जाने के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा कतिपय कारणों से दुग्ध वितरण संबंधि अनियमितता की जाने जैसे अन्य ब्रांडो का दुग्ध/मांग से अधिक दुग्ध क्रेट्स/पैकेट्स पाये जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता का ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात करने एवं संबंधित परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ का होगा।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

नाम : ....

मै..................................पिता/पति/पत्नी का नाम ....आयु............ निवासी ....
....परिवहनकर्ता ग्रामीण मार्ग ....
... अपना विधि सम्मत उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... को घोषित करता हूँ/करती हूँ साथ ही निविदा स्वीकृत होने के उपरांत मुझे संघ की समस्त शर्ते एवं नियम मान्य है। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त मे से किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर संघ किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष)

नाम : ....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम पक्ष)
भोपाल दुग्ध संघ

हस्ताक्षर गवाहदार

उप महाप्रबंधक (विपणन)

1 गवाह का नाम ....
हस्ताक्षर ....
पता ....

2 गवाह का नाम ....
हस्ताक्षर ....
पता ....

बैतूल से चिचोली – ग्रामीण विपणन मार्ग

1 चिचोली

परिवहनकर्त्ता कार्य प्रति किलोमीटर दर पर

1 बोलेरो पिकअप अथवा समकक्ष (मॉडल 2015 अथवा उसके बाद का)

2 आना जाना दूरी, अनुमानित 174 कि0 मी0